न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
48 / 2022	2022 / 127	04.05.2022	14.12.2022

उनवान प्रकरण

1. ग्यारसी पत्नी नन्दाराम आयु 60 वर्ष
2. श्रीराम पुत्र नन्दाराम आयु 45 वर्ष
3. हेमन्त पुत्र नन्दाराम आयु 33 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—वादीगण—

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र परसाराम आयु 59 वर्ष
2. झाबरमल पुत्र परसाराम आयु 50 वर्ष
3. कोयली देवी पुत्री परसाराम आयु 53 वर्ष
4. तुलसीराम पुत्र गोमाराम आयु 55 वर्ष
5. सांवरमल पुत्र गोमाराम आयु 50 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. ममता बेवा महावीर हाल पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी सुरपुरा सराय तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

14/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

8. सुभाष पुत्र नन्दाराम आयु 40 वर्ष जाति जाट निवासी होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——तरतीबी प्रतिवादीगण——

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा , एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री रिछपाल बाजिया,एड0 प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 एंव तरतीबी प्रतिवादी सं. 8

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से

वादपत्र बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1305, 1306 कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित है। जिसके 1/8 हिस्से की खातेदारी मृत्तक मोहरली पत्नी दूलाराम के नाम दर्ज हैं व हिस्सा 1/8 की खातेदारी कालू पुत्र जोधा के नाम है जो कालू के बजाय बालू पुत्र जोधा दर्ज होना चाहिए था। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1214 से 1218, 1220 से 1223 कुल किता 9 कुल रकबा 1.42 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1315, 1316, 1346 कुल किता 5 कुल रकबा 9.04 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1273, 1274 कुल किता 2 कुल रकबा 2.38 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/8 हिस्से की खातेदारी मृत्तक मोहरली पत्नी दूलाराम के नाम दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमियॉ सजरा खानदान अनुसार मोहरली पत्नी दूलाराम के कोई संतान पैदा नही हुयी जो ना औलाद फौत हो गयी थी। [illegible] दूलाराम के तीन सगे भाई क्रमशः बालू, परसा व गोमा के वारिस ही असली हकदार [illegible]। उक्त हिस्से अनुसार ही हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
14/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1/3 अर्थात 1/24 वादी संख्या 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 8 व हिस्सा 1/24 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व हिस्सा 1/24 प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ही काबिज काश्त है। इसी अनुसार पक्षकारान अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीया संख्या 6 ममता जो महावीर की पत्नी थी। महावीर से ममता के कोई संतान पैदा नही हुयी थी तथा महावीर की मृत्यु उपरान्त ममता ने दूसरी शादी राजवीर से कर ली है व वर्तमान में सुरपुरा (सराय) तहसील नीमकाथाना में स्थायी रूप से निवास करती है व उक्त वर्णित भूमि सम्पदा में उक्त ममता का कोई हक हिस्सा निहित नही हैं, ना ही कोई कब्जा है। उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी में मृत्तक मोहरली पत्नी दूला के नाम दर्ज खातेदारी भूमियों की खातेदारी उनके विधिक वारिसो के नाम दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी है। खातेदारी के अभाव में वादीगण को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से भी वादीगण को वंचित रहना पड़ता है। इस कारण भी खातेदारी वादीगण के नाम उनके हक हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक हैं यहां यह भी लिखा जाना आवश्यक है कि वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में जो खातेदारी कालू पुत्र जोधा हिस्सा 1/8 नाम दर्ज है, जो गलत है। जोधाराम के कालू नाम का कोई पुत्र पैदा नही हुआ था बल्कि बालूराम पैदा हुआ था। इस कारण राजस्व रिकार्ड में बालू पुत्र जोधा दर्ज होना चाहिए था व उक्त दर्ज कालू पुत्र जोधा के स्थान पर बालू पुत्र जोधा दर्ज होकर उसके वारिसान वादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 है। जिनके नाम उक्त हिस्सा 1/8 की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार दुरूस्ती करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहां तो पूर्व में हां करते रहे व टालते रहे परन्तु उनके मन में बेईमानी आ गयी है ओर वे उक्तानुसार दुरूस्ती कराने में आनाकानी करने लगे। दिनांक [illegible] 2022 को उपस्थित प्रतिवादीगण को इस बाबत कहा तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण मजबूर होकर वादीगण को वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र में उक्त वर्णित भूमियों में मृत्तक मोहरली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

14/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पत्नी दूला के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 में से हिस्सा 1/3 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में से 1/24 हिस्से के वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत कर देगें या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही कर वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा कर देगे तो वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के विधिक हक हिस्से पर कुठारघात होगा। इस कारण उन्हे उक्त अवैध कार्यवाही के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण को उक्तानुसार दुरूस्ती करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पूर्व में हां करते रहे व टालते रहे व दिनांक 20.04.2022 को उपस्थित प्रतिवादीगण ने खातेदारी दर्ज कराने से स्पष्ट इन्कार करने से अन्दर हद अदालत उत्पन्न होकर लगातार हो रहा है। वादी ने वादपत्र पेश कर उदघोषणा इस अमर की फरमायी जाने का निवेदन किया है कि तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1305, 1306 कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1214 से 1218, 1220 से 1223 कुल किता 9 कुल रकबा 1.42 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1315, 1316, 1346 कुल किता 5 कुल रकबा 9.04 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1273, 1274 कुल किता 2 कुल रकबा 2.38 हैक्टर की समस्त भूमियों में दर्ज हिस्सा 1/8 की खातेदारी मोहरली पत्नी दूला के नाम दर्ज हिस्से में से हिस्सा 1/3 अर्थात 1/24 वादीगण संख्या 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 8 व हिस्सा 1/24 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को व हिस्सा 1/24 के प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे व भूमि खसरा नम्बर 1305, 1306 कुल किता 2 रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास में दर्ज खातेदारी कालू पुत्र जोधा दर्ज हिस्सा 1/8 को कालू के बजाय बालू पुत्र जोधा दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 ता 3 [illegible] प्रतिवादी संख्या 8 के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त फ[illegible] के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने कि वे वादपत्र में उक्त वर्णित भू[illegible]ों में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे, ना दीगर से करावें। इसलिए दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 व 8 की ओर से श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 उपस्थित आयें एंव प्रतिवादी सं. 4 ता 6 व 8 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने तथा डाक विभाग की ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य में वादी श्रीराम पुत्र नन्दाराम का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र एंव वादी साक्ष्य गवाह में सांवरमल पुत्र गोमाराम व तुलसीराम पुत्र गोमाराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालतन नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की कुल चार जमाबन्दियों के रिकार्ड अवलोकन अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी मोहरली पत्नी दुला के नाम हिस्सा 1/8 दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित होता है तथा खसरा नम्बर 1305 व 1306 कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम होल्या का बास के 1/8 हिस्से की खातेदारी कालू पुत्र जोधा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें जोधाराम के कालू नाम का कोई पुत्र पैदा नहीं होना तथा कालू के स्थान पर बालूराम नाम का पुत्र पैदा होना प्रतित होता है। जिसके कारण उक्त कालू पुत्र जोधा के स्थान पर बालू पुत्र जोधा का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना प्रमाणित होता है। वादपत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार जोधा के पुत्र दूला व उसकी पत्नि मोहरली पत्नि दूला के नाऔलाद फौत होना प्रकट होता है। जिसके अनुसार जोधाराम के केवल मात्र तीन पुत्र संतान बालू, परसा व गोमा होना प्रकट होता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियॉं वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादी 8 की पैत्रृक भूमियॉं रिकार्ड से सिद्ध होती है। जिसकी ताईद प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत किये गये इकबाली जवाब दावा से भी होती है। जिसको साक्ष्य वादीगण में मुख्य परीक्षण में पेश वादी श्रीराम व गवाहान् सॉवरमल व तुलसीराम ने अपने द्वारा पेश शपथ पत्रों से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वा[illegible] स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि अवस्थित तन् ग्राम होल्या का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1305, 1306 कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1214 से 1218, 1220 से 1223 कुल किता 9 कुल रकबा 1.42 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1315, 1316, 1346 कुल किता 5 कुल रकबा 9.04 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1273, 1274 कुल किता 2 कुल रकबा 2.38 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में उक्त समस्त भूमियों में दर्ज हिस्सा 1/8 की खातेदारी मोहरली पत्नी दूला के नाम दर्ज हिस्से में से हिस्सा 1/3 अर्थात 1/24 वादीगण संख्या 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 8 व हिस्सा 1/24 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को व हिस्सा 1/24 के प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने एंव भूमि खसरा नम्बर 1305, 1306 कुल किता 2 रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज खातेदारी कालू पुत्र जोधा दर्ज हिस्सा 1/8 को कालू के बजाय बालू पुत्र जोधा दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम खातेदारी दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] या जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचन की जाँच कर [illegible] राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:43:06 IST
Reason: SelfAttested

14/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.22 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested